

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

ACM. मुकाम बहरोड.
 बलबोर वनाम बली
 नं० 114 सन् 22-4-2008

<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए</p>
<p>2/6/8 वाय पत्रावली पेश हुई। बकनाथ करीकन उप०। बिनामौन अधिकारी हरि / मिटिम में पधार है। पत्रावली तमके प्रयुक्त दि० 11-8-8 को दे दी।</p> <p>11-8-8 वाय पत्रावली पेश हुई। बकनाथ करीकन उप०। बिनामौन अधिकारी हरि / मिटिम में पधार है। पत्रावली तमके प्रयुक्त दि० 15-10-8 को दे दी।</p> <p>15-10-8 पाण्डे पत्रे देदी। वकील वापी उपजै, लालाबाबु बाप लालाबाबु के द्वारा पत्रे देदी। नोटिस तमपान पत्रे देदी वर वकील दि० 2-2-9 को पत्रे देदी।</p> <p>2-2-9 पाण्डे पत्रे देदी वकील वापी उपजै ये हुकम काटके भी चालना मे नोटिस तमपान पत्रे देदी पत्रे देदी बाद वकील दि० 22/5/9 को पत्रे देदी।</p> <p>22/5/9 वाय पत्रावली पेश हुई। बकनाथ करीकन उप०। बिनामौन अधिकारी हरि / मिटिम में पधार है। पत्रावली तमके प्रयुक्त दि० 20/5/9 को दे दी।</p>	

म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

14-6-22 माम पत्रावली. पत्रावली
पत्रावली मय पत्रावली में वादी
को साक्षर हेतु बार-बार अपील
दिमाजाने पर को साक्षर पत्रा
कवने में विहित की साक्षर
वादी कन को जारी है। पत्रा
वादी साक्षर जारी जारी दिनांक
14-8-22 को पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

9-9-22 आज पत्रावली मय है। परीक्षा के लिये
उपस्थित है, 24/9/22 को मय पत्रावली है।
पत्रावली मय 24/9/22 को मय पत्रावली है।
दिनांक 24-9-22 को मय पत्रावली है।
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

20-12-22 आज पत्रावली मय है। पत्रावली मय
पीठासीन अधिकारी मय पत्रावली मय
दिनांक 20-12-22 को मय पत्रावली मय
नम्बर 20-12-22 को मय पत्रावली मय

आज यह पत्रावली मय की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता
कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को
बार-बार आवाज दिलायी गई। किन्तु वादी एवं उनके
अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम ह. जरी
एवं अदम फेरी कसूरी साबित होती है। अतः यह कसूरी
प्रार्थना पर वादी की अदम ह. जरी व अदम फेरी के कारण
स्वास्तिक किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की बाकर
जिला लेख मण्डर अलवर जमा कवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपरकथ

मुकाम

आधिकारी

सत्यवीर

बनाम

फूलसिंह

दावा

नं०

पा 6

सन्

२०१२

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामिल में जारी हुए

12-10-22 आज यह पत्रवाली पेश हुई
वकील वादी उप०। पत्रवाली दर्ज रजि-
ष्ट्री। प्रतिवादी का जुरिये रजिस्ट्रार समक्ष
तलबाना से तलब हो। वादी के वकील
रजि समक्ष तलबाना पेश करे। पत्रवाली
वास्ते तलबी दिनांक 22-11-22 को पेश हो।

उप उण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

22-11-22 आज यह पत्रवाली पेश हुई...
वकील वादी उप०। पत्रवाली दर्ज रजि-
ष्ट्री। प्रतिवादी का जुरिये रजिस्ट्रार समक्ष
तलबाना से तलब हो। वादी के वकील
रजि समक्ष तलबाना पेश करे। पत्रवाली
वास्ते तलबी दिनांक 22-11-22 को पेश हो।

उप उण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

10.1.23 आज यह पत्रवाली पेश हुई...
वकील वादी उप०। पत्रवाली दर्ज रजि-
ष्ट्री। प्रतिवादी का जुरिये रजिस्ट्रार समक्ष
तलबाना से तलब हो। वादी के वकील
रजि समक्ष तलबाना पेश करे। पत्रवाली
वास्ते तलबी दिनांक 10.1.23 को पेश हो।

उप जिला कलैक्टर
नीमराना (अलवर)


FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

सत्यवीर बनाम फूलसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मिनाल नं० २५५/२०२२	न. या ता. अहकाम जो जारी हुआ
	<p>12.10.2022</p> <p>आज यह प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रा.पत्र को साथ-साथ पढ़ा गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का पृथम दृष्टया मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.11.2022 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.नं. हाल 1204/0.49, 1212/0.43, 328/0.16, 341/0.06, 932/0.08, 933/0.19, 934/0.32, 935/0.30, 937,0.34,1209/0.15,1210/0.07, 1211/0.56, 1524/0.32, 1525/0.32, 1526/0.31, 1527/0.35, 1208/0.19, 1361/0.65, 913/0.22, 914/0.14,936/0.02, 1430/0.16,1431/0.15,1432/0.11 वाके ग्राम कांकर तह० नीमराना की वो आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे। ना ही प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने मे स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों व दिगर व्यक्तियों के माध्यम से दिक्कत बाजी पैदा करे। ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे,कच्चा-पक्का निर्माण करे, गलत इन्द्राजात के आधार पर बेचान करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।</p> <p>तथा क्यौना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी०आई० तलबाना रजिस्ट्रड ए०डी० पेश करे। आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रड ए०डी० तलब हो बाद तलबी पत्रावली दिनांक 22.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.</p>	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 सत्यवीर बनाम फूलसिंह वर्मा
 नं० 254 सन् 2022

क्र	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>22-11-22 आज पत्रवाली पेश हुई प्रती के वकील सत्यवीर तलवार को समझाया गया कि प्रत्यक्ष जज ... तलवार को समझाया जायेगा। दिनांक 19-1-23 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी सत्यवीर</p> <p>10.1.23 आज पत्रवाली पेश हुई प्रती के वकील सत्यवीर तलवार को समझाया जायेगा कि प्रत्यक्ष जज ... तलवार को समझाया जायेगा। दिनांक 18-1-23 को पेश है। उप जिला कलैक्टर नीमराना (अहमद)</p>	
	<p>28.8.23 आज पत्रवाली पेश हुई प्रती के वकील सत्यवीर तलवार को समझाया जायेगा कि प्रत्यक्ष जज ... तलवार को समझाया जायेगा। दिनांक 18-1-23 को पेश है। उप जिला कलैक्टर नीमराना (अहमद)</p>	<p>Nate Puse Mayya 28/3/23 (अजय सिंह) सत्यवीर</p>